राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकःप 10(132)नविवि/3/2009

जयपुर,दिनांकः 14 JUN 2017

आदेश

विषयः– रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेंट) एक्ट, 2016 तथा राजस्थान रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेंट) रूल्स, 2017 की वेबसाईट आदि के संबंध में नगरीय विकास विभाग व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मध्य समन्वय एव सुगमता स्थापित करने हेतु नियुक्ति बाबत।

राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार के केन्द्रीय अधिनियम Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (वर्ष 2016 का अधिनियम संख्याक 16) के अन्तर्गत Rajasthan Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2017 दिनांक 01.05.2017 से प्रभावे किये जा चुके है। उक्त अधिनियम व नियमों के प्रावधानानुसार राज्य में स्थित सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, प्रमोटर्स एवं एजेन्टस एवं इनके पंजीयन से संबंधित डाटा आधारित सूचना लोक परिदृश्य के लिए प्रदर्शित कराने व उनके संधारण निमित राज्य सरकार द्वारा वेबसाईट बनाई जा चुकी है।

अतः रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेंट) एक्ट, 2016 तथा राजस्थान रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेंट) रूल्स, 2017 की वेबसाईट के संबंध में नगरीय विकास बिभाग व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मध्य समन्वय एवं सुगमता स्थापित करने हेतु श्री अर्पित संचेती, सहायक नगर नियोजक, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को एतदद्वारा RERA के तहत पंजीकरण करने के लिए एवं रजिस्ट्रार, रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी ऑथोरिटी की सहायता हेतु नियुक्त किया जाता है एवं निर्देश दिये जाते है कि श्री संचेती उक्त वेबसाईट में डाटा आधारित सूचना लोक परिदृश्य हेतु प्रदर्शित कराने, उनके संधारण करने व रख–रखाव करने हेतु नगरीय विकास विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मध्य समन्वय एवं सुगमता स्थापित करने का कार्य तत्काल प्रभाव से सम्पादित करेगें।

आज्ञा से,

14/6/17

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है–

(1) अपर सचिव, हाउसिंग भारत सरकार (आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय) कमरा नम्बर 220, सी–विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011
(2) विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
(3) निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी ऑथोरिटी, नगरीय विकास विभाग।
(4) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
(5) पीठासीन अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अपील प्राधिकरण एवं रियल एस्टेट अपील प्राधिकरण स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, जयपुर।
(6) आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
(7) सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
(8) समस्त अध्यक्ष/सचिव, नगर विकास न्यास।
(9) निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
(10) संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
(11) वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
(12) श्री आर.के.पारीक, विशेषाधिकारी/परामर्शी, नगर विकास विभाग, नगर नियोजन भवन, जयपुर।
(13) श्री प्रदीप कपूर अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देश है कि रजिस्ट्रार, रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी ऑथोरिटी की नियमित नियुक्ति होने तक आथोरिटी के रजिस्टार का कार्य सम्पादित करने का श्रम करे।
(14) वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
(15) उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
(16) श्री अर्पित संचेती, सहायक नगर नियोजक, जयपुर विकास प्राधिकरण।
(17) रक्षित पत्रावली।

2/6/17

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम